राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(5)गृह–1/2015

जयपुर, दिनांक : 31.10.2019

आदेश

श्री बच्चू सिंह के विरूद्ध पुलिस उपायुक्त (पूर्व) जयपुर आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 13821–25 दिनांक 03.06.2015 के द्वारा परिनिन्दा के दण्डादेश को पुलिस आयुक्त, जयपुर के आदेश क्रमांक 1957–61 दिनांक 09.10.2018 के द्वारा अपास्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2018–19 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.07.2018 की अभिशंषा का पुनरावलोकन किया गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू बैठक दिनांक 10.10.2019 की अभिशंषा के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2018–19 की रिक्ति के विरूद्ध श्री बच्चू सिंह पुत्र श्री सुमेरी सिंह (एससी) को एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री शंकर लाल/अगराराम (एससी) के नाम के नीचे एवं श्री श्रवणदास/मंगलदास, (एससी) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है। पूर्व में की गई अनुशंषा में चयन सूची में से एससी वर्ग के अन्तिम चयनित अधिकारी श्री विश्वास अटल/बनवारी लाल (एससी) का नाम विलोपित किया जाता है।

यह पदौन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री बच्चू सिंह पुत्र श्री सुमेरी सिंह (एससी) अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0

(गुरू प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

31/10/19

सहायक शासन सचिव, पुलिस

D:\SO\DPC 2017-18\Promotion Order